

/16087G/2023

ई फाईल संख्या-58709

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

SSO(P)I

18/10

CEC(P)/AP

18/10/23

प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0

लोक निर्माण अनुभाग-2

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun

दिनांक 11 अक्टूबर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र- झबरेडा में 03 निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा निम्न तालिका में वर्णित कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनके अंतर्गत सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 3.525 कि०मी० एवं लागत ₹116.00 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि ₹116.00 लाख (₹ एक करोड़ सोलह लाख मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 03 कार्य हेतु कुल ₹0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-झबरेडा में कोटवाल चौन्दाहेड़ी मार्ग से ग्राम हैश्यामपुर होते हुए शेरपुर खेलमउ तक ईट खडण्जा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.125	34.08	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-झबरेडा में ग्राम झबरेडी कलां से ग्राम खानपुर कुरसल्ली तक ईट खडण्जा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.175	41.54	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-झबरेडा में मंगलौर-झबरेडा मार्ग से शनिदेव मंदिर तक ईट खडण्जा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.225	40.38	0.10
	योग	3.525	116.00	0.30

(₹ तीस हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन रहेंगी:-

- ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत से MoU करा लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली

गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- iv. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- v. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- vi. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- vii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- viii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- x. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाषीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/160403/2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 11-10-2023 15:39:34

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

MOD-Chief Engineer PWD(4227)

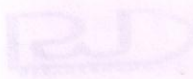
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., रूड़की।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिवा

5	0	5	4	0	4	2	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में आवंटित		अतिरिक्त आवंटन		योग
5-1-प्राथमिक निर्माण					65,60,000		00		65,60,000
योग					65,60,000		00		65,60,000

Total Current Allocation To MOD In Above Schemes Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



मुख्य अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"निर्माण-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Officer of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web: <http://govt.nic.in/india/pwd>

E-mail: ecp@pwd.nic.in

प्राप्त: 19/10/2023 प्रास्ताविक क्र. 1/2023

दिनांक: 19/10/2023

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
 3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूड़की।
 4. अधिशासी अभियन्ता आह0टी0सी0 विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन की प्रती निम्नलिखित देहरादून में उपलब्ध करवाया जाये।
- अतिरिक्त अभियन्ता प्राधिकार / बजट वर्ष, विभागध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

संख्या -I/160870/2023

संख्या -022

आवंटन आई डी-S23100220051

आवंटन पत्र दिनांक-19-OCT-2023

सूची संख्या

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-

Voted

800-03-02से स्थानान्तरित)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					6530000	30000	0	6560000				
योग					6530000	30000	0	6560000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

पत्रांक- 1262 /20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक- 31.10.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
- अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून